बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कोटि क्रमांक–210 / 2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मंसुरचक–सह–अतिरिक्त प्रभार भगवानपुर, बेगूसराय के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–039 / 2026 दिनांक–01.04.2026 दर्ज होने तथा इस क्रम में निगरानी धावा–दल द्वारा दिनांक–02.04.2026 को परिवादी से 12,000 / – (बारह हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने संबंधी प्राप्त सूचना एवं गंभीर आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2699 दिनांक–01.06.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री सिंह को कारा–निरोध की तिथि यथा–02.04.2026 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–3415 दिनांक–10.07.2026 के माध्यम से सूचित किया गया है कि श्री सिंह द्वारा न्यायिक हिरासत से रिहा होने के उपरान्त दिनांक–01.07.2026 को आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में योगदान समर्पित किया गया है, जिसे दिनांक–01.07.2026 के अपराह्न से स्वीकृत किया गया है, को अनुमोदित किया जाता है।

3. चूँकि श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित मामला रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से संबंधित है, जो अत्यन्त गंभीर / घोर कदाचार की श्रेणी में आता है तथा उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के सर्वथा प्रतिकूल है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(3)(ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में नियम–9 के उप नियम–(1)(क) एवं (ग) के तहत श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कोटि क्रमांक–210 / 2024), तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाकिारी, मंसुरचक–सह–अतिरिक्त प्रभार भगवानपुर, बेगूसराय सम्प्रति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को आदेश निर्गत की तिथि से पुनः निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित रहेगा।

5. श्री सिंह को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–10 में निहित प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित रंजन)
सरकार के अवर सचिव।

D:\2025\Suspension Order\Shailendra Kr. Singh_1.doc

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(बेगूसराय)–09/2026 4220 /खाद्य, पटना/दिनांक 22/07/2026

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय एवं पूर्णिया/अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कोटि क्रमांक–210/2024), निलंबित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, (निलंबन अवधि में मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया), मोबाईल संख्या–9113152627, E-mail : s.k.shilendra123@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature)

सरकार के अवर सचिव।

D:\2025\Suspension Order\Shailendra Kr. Singh_1.doc